अध्याय–7
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय–7

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

7.1 निष्कर्ष

"खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन एवं संग्रहण में प्रणालियों एवं नियंत्रणों" पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा ने अनेक त्रुटियों एवं कमियों का खुलासा किया। खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के किसी भी जिले के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया था, परिणामस्वरूप 2020–24 तक खनन क्षेत्र की बन्दोबस्ती नहीं हुई। बन्दोबस्त राशि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि/पेशा कर आदि विलम्ब/जमा नहीं करने और उस पर ब्याज की वसूली न करने के मामले थे। चयनित जिलों में खनन पट्टों का गैर–बंदोबस्त/निष्पादन भी देखा गया। सतत खनन बंदी नहीं की जा रही थी और प्रस्तावित बंदी से ठीक एक साल पहले अंतिम खनन बंदी योजना बनाने में चूक का एक उच्च जोखिम था।

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खनन गतिविधियों की निगरानी बहुत कम थी और बालू घाटों के भू–समन्वय को क्षेत्रीय सत्यापन के बिना अनुमोदित कर दिया गया था। खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैधताओं का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (विशेषज्ञ एजेंसी) की मदद से बालू घाटों के भू–स्थानिक अध्ययन से उजागर हुआ कि अनुमोदित खनन योजना क्षेत्र के बाहर व्यापक गैर–कानूनी खनन किया जा रहा था।

बालू खनन नीति, 2013 के तहत पट्टेदारों द्वारा खनिजों के अधिक निष्कर्षण के लिए दण्डात्मक प्रावधान केवल रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि थी, जो खनिजों के मूल्य के साथ–साथ अन्य राज्यों की खनन नीति की तुलना में बहुत कम थी। अतः, नीति में निर्धारित दण्डात्मक कार्रवाई का निवारक प्रावधान अप्रभावी रहा।

योजना निगरानी इकाई और नमूना जिलों के लिए वाहन डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि जहाँ परिवहन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच अंतरविभागीय समन्वय की कमी के कारण ऐसे उदाहरण थे जिसमें एम्बुलेंस, कृषि प्रयोजन हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर, बस, मोटरसाइकिल, मोटरकार आदि जैसे वाहनों पर खनिजों का परिवहन किया गया था। कुछ मामलों में, एक दिन में एक वाहन के लिए बड़ी संख्या में ई–चालान जारी किये गये थे। विभिन्न कार्य प्रमंडलों के ई–चालान की संवीक्षा में पाया गया कि कार्य प्रमंडलों में बड़ी संख्या में फर्जी ई–चालान का प्रयोग किया गया था। ऐसे उदाहरण थे, जहाँ स्वीकृत सीमा से अधिक ई–चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

7.2 अनुशंसाएँ

खनन एवं भूतत्व विभाग को सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के आलोक में प्रत्येक जिले में प्रत्येक खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन अलग से तैयार करना चाहिए। खान एवं भूतत्व विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार किसी भी खनन गतिविधि को जारी रखने और खनन पट्टा के विस्तार के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेना चाहिए।

किसी भी खनन पट्टे की खनन योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। समय–समय पर भू–स्थानिक अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनन

अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है और इससे किसी भी विचलन की सूचना दी जा सकती है एवं अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। खान एवं भूतत्व विभाग को जियो फेंसिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल को कार्यात्मक बनाना चाहिए ताकि शुरू से गंतव्य तक वाहन के मार्ग को चेक प्वाइंट, ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से नजर रखी जा सके।

विभाग को प्रेषण से पहले निकाले गए खनिजों की मात्रा के सत्यापन के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए और खनन कार्यालय द्वारा पत्थर पट्टा क्षेत्र का पर्याप्त निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।

खान एवं भूतत्व विभाग को परिवहन विभाग के साथ एक समन्वय तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अवैध खनन की जाँच के लिए खनन विभाग को संदर्भित किया जा सके।

खान एवं भूतत्व विभाग को अवास्तविक वाहनों पर ई–चालान के निर्गत को रोकने के लिए अपने डेटाबेस को *वाहन* डेटाबेस के साथ एकीकृत करना चाहिए। यदि, गैर–वाणिज्यिक वाहनों पर कोई ई–चालान जारी किया जाता है तो परिवहन विभाग को स्वतः झण्डी से सूचित किया जाना चाहिए।

एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी समाधान विकसित किया जाना चाहिए जिसमें सभी प्राप्तियाँ अर्थात रॉयल्टी, जिला खनिज फाउण्डेशन निधि, सुरक्षा जमा, मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली परिलक्षित होनी चाहिए और किसी भी गैर–भुगतान, कम या विलम्ब भुगतान को चिह्नित किया जाना चाहिए और इसलिए, सुधारात्मक उपाय सही समय पर किया जाना चाहिए।

खान एवं भूतत्व विभाग को कार्य प्रमंडलों और विभागों के साथ नियमित आधार पर इस तरह के समन्वय तंत्र को विकसित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य प्रमंडलों में ई–चालान की प्रामाणिकता की नियमित रूप से जाँच की जा रही है ताकि रॉयल्टी की हानि और ई–चालान के दुरुपयोग से बचा जा सके। विभाग को खनन कार्यालयों से फर्जी सत्यापन पत्रों की उपलब्धता के संबंध में मामले की जाँच और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

विभाग जिला खनिज फाउण्डेशन निधि दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करे और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के खातों की लेखापरीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति करे।

विभाग को अपने डेटाबेस को *वाहन* के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि अयोग्य और बिना प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र के वाहनों पर ई–चालान निर्गत होना रोका जा सके और खनिजों को ले जाने पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन किया जा सके। अयोग्य वाहनों पर निर्गत ई–चलान और प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को परिवहन डेटाबेस में स्वतः झण्डी से सूचित किया जाना चाहिए।

विभाग को महत्वपूर्ण पदों को तत्काल भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और अपने अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्ति का निष्पादन करना चाहिए और समय–समय पर भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन और खनन डेटाबेस के विश्लेषण के माध्यम से निकासी की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर एक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए।

पटना **(रामावतार शर्मा)**
दिनांक 27 सितम्बर 2022 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक 30 सितम्बर 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**